तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील हुक्म में जारी हुए
4.10.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित रेस्पोन्डेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट का बहस मे कथन है कि विरासत नामान्तकरण संख्या 200 दि० 5-6-14 ग्राम सिधनिया तहसील मासलपुर मृतक मुरारी पुत्र गज्जू ब्राह्मण मि० सिधनिया केचनपुर का दर्ज करते समय अपीलान्ट के पिता का नाम मुरारी के स्थान पर गज्जू गलत तौर पर बिना कोई जाँच किये पटवारी हल्का ने दर्ज किया है। जबकि नामान्तकरण पर दर्ज सजरा मे अपीलान्ट के पिता का नाम मुरारी सही दर्ज है जबकि नामान्तकरण संख्या 227 दि० 6/2/18 ग्राम सिधनिया मे ही अपीलान्ट के पिता का नाम मुरारी सही दर्ज किया गया है। दि० 16/5/19 को जानकारी पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने पर हुई और दि० 30/5/19 को अपील प्रस्तुत की गयी है म्याद को क्षम्य करने का आवेदन धारा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रा०पत्र मे अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया है बहस अपीलान्ट का मनन किया गया नामान्तकरण 200 का अवलोकन किया गया जो मृतक मुरारी पुत्र गज्जू की विरासत दर्ज करने का है जिसमे सजरा मे मुरारी के वारिसान के तौर पर अपीलान्ट का नाम दर्ज है। परन्तु नामान्तकरण के कालम नं० 5 मे अपीलान्ट के पिता का नाम मुरारी के स्थान पर गज्जू गलत दर्ज हुआ है जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम नामान्तकरण संख्या 227 मे मुरारी ही दर्ज है। इस स्थिति मे अपील अपीलान्ट	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		दिये जाते है कि मुरारी के वारिसान के हक मे पुन: विधिवत जॉच कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। तहसीलदार मासलपुर को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	